



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्र०एफ.४(१००)जैवविविध/विधि/पंरा/२०१२/३५१।

दिनांक : १८-३-२०२०


मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
ज़िला परिषद, समस्त (राजस्थान)।

विषय :- जैव विविधता प्रबन्ध समितियों के गठन बाबत।

प्रसंग :- विभागीय पत्रांक ३५११ दिनांक ०३.३.२०२०।


उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासंगिक पत्र के द्वारा आपसे अपेक्षा की गई थी कि आप अपने ज़िले की समस्त पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों एवं ज़िला परिषद की साधारण सभाओं में तत्समय जैव प्रबन्ध समितियों के गठन बाबत पारित प्रस्तावों (कार्यवाही विवरण रजिस्टर की छायाप्रति) की स्कैन प्रतियां आवश्यक रूप से rajpr.dlr@rajasthan.gov.in/rajpr.dsalegal@rajasthan.gov.in पर जरिए ई-मेल सात दिवस में भिजवायें। खेद का विषय है कि दिनांक १२.३.२०२० तक मात्र बारां ज़िले से ही सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि दिनांक २०.३.२०२० तक वांछित सूचनाएं आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि तक सूचनाएं प्राप्त न होने की स्थिति में आपको व्यक्तिशः उत्तरदायी मानते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ की जा सकेगी।


(राजेश्वर सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि:-

१. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
२. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा०वि० एवं पं० राज, जयपुर।
३. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड, प्लॉट नं० ७, द्वारिका पुरी, जमना लाल बजाज मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर को सूचनार्थ।
४. ए०सी०पी० मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाये जाने हेतु।


उपायुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव(प्रथम)